

शान्ति डेरी काय. उपखण्ड १४
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय सचिव/सहायक जज
 क्र. नं - २५५/२०११

साठमनाल मूल पत्र फौजल से प्रकाश
 कल. ऐसी रिपोर्ट में इस प्राधिक - पत्र
 अरबाई मिसे-धारा को भागे चलाये जाने
 का कोई भी प्रमाण नहीं है। अतः प्राधिक
 पत्र अरबाई मिसे-धारा इसी स्तर पर रखी
 किया जाऊ है। पत्रावली फौजल सुभार से
 बाय वकमील जामिल दफ्तर है।

यह निर्णय आज दिनांक 14-5-8
 को साजसन लोक अदालत के कैंप-मूक
 के मजमे-ए-अम में सुनाया गया।

Gm
 (प्रम लाल मट)
 उपखण्ड अधिकारी सीकर
 श्रीमधोपुर (सीकर)